रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-15012026-269360
CG-UP-E-15012026-269360

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 191] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 14, 2026/पौष 24, 1947
No. 191] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 14, 2026/PAUSHA 24, 1947

रेल मंत्रालय

[उत्तर मध्य रेलवे (निर्माण विभाग)]

अधिसूचना

प्रयागराज, 9 जनवरी, 2026

का.आ. 202(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेलवे (संसोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11वां) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 (क) की उप धारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड) ii), **दिनांक 22 अक्टूबर 2025** में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (उत्तर मध्य रेलवे निर्माण विभाग) की अधिसूचना संख्या काआ. **4776 (अ) दिनांक 08 अक्टूबर 2025** (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनूसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, उत्तर प्रदेश राज्य के **मिर्जापुर जिले** के **सदर तहसील** में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् प्रयागराज – पं दीन दयाल उपाध्याय, तीसरी रेल लाइन दोहरीकरण परियोजना (150 किमी)" के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की गई थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार अधिनियम की धारा 20अ की उपधारा (4) के अधीन दैनिक सामाचार पत्रों, अर्थात्: **"दैनिक जागरण", और "द टाइम्स ऑफ़ इंडिया" में तारीख 30 अक्टूबर 2025** को प्रकाशित किया गया था;

और, इस परियोजना में प्राप्त सभी अक्षेपों का निस्तारण सक्षम प्राधिकारी द्वारा कर दिया गया है

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनूसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी ।

यह और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम कि धारा 20ड की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र मे इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यांकित रूप से निहित हो जाएगी ।

और, यह कि केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 20 (च) की उपधारा (04) के अनुसरण में उर्पयुक्त वर्णित भूमि में सभी हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वे व्यक्तिगत रूप से या किसी अभिकर्ता या विधि व्यवसायी के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी अर्थात्: विशेष भूमि अध्यापि अधिकारी मीरजापुर (सिंचाई) / के समक्ष अपना दावा इस अधिसूचना के प्रकाशन के आगामी 20 दिवस में सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्जापुर जिले में सदर तहसील के अंतर्गत 02 गांवों का सक्षम प्राधिकारी अर्थात्: विशेष भूमि अध्यापि अधिकारी मीरजापुर (सिंचाई) / के अधीन विशेष रेल परियोजना, अर्थात् "प्रयागराज – पं दीन दयाल उपाध्याय, तीसरी रेल लाइन दोहरीकरण परियोजना (150 किमी) के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

क्रं.सं	ग्राम का नाम	प्लाट सं0	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	अर्जित भूमि का क्षेत्रफल (हे0)	भू-स्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	**चड़ेरु चौकठा**	380	निजी	कृषि	0.0130	कृष्णा प्रसाद पुत्र दूधनाथ
						जयशंकर पुत्र दूधनाथ
						धर्मराज पुत्र दूधनाथ
						रमाशंकर पुत्र दूधनाथ
		382	निजी	कृषि	0.1030	अमरावती पत्नी रामजीत
						राधेकृष्ण पुत्र रामजीत
						राधेश्याम पुत्र रामजीत
						शेषमणि पुत्र रामजीत
		392	निजी	कृषि	0.1440	लालजी पुत्र बंघू प्रसाद
						वंशरुप पुत्र बंधू प्रसाद
						घनश्याम पु ठाकुर प्रसाद
						संगम प्रसाद पुत्र ठाकुर प्रसाद
						सरयू प्रसाद पुत्र ठाकुर प्रसाद
						राम अकबाल पुत्र जमुना प्रसाद
						राम उजागिर पुत्र जमुना प्रसाद
						रामधनी प्रत्र जमुना प्रसाद
						रामबली पुत्र जमुना प्रसाद
				योग	**0.2600**	
2	**कसघना**	159	निजी	कृषि	0.1210	श्यामकली पत्नी रमाशंकर
		121	निजी	कृषि	0.0340	ओंकारनाथ पुत्र रामदेव
						जगदीश नरायण पुत्र श्यामनरायन
						रमेशचन्द्र पुत्र लक्ष्मीनरायन

						ओम प्रकाश पुत्र गायत्री प्रसाद
						मंगला प्रसाद पुत्र गायत्रीप्रसाद
						श्यामानन्द पुत्र गायत्री प्रसाद
						सच्चिदानन्द पुत्र गायत्री प्रसाद
						बालकृष्ण पुत्र भरतलाल
						मंजू देवी पत्नी भरतलाल
				योग	**0.1550**	
				महायोग	**0.4150**	

[फा. सं. एन.सीआर.-एच. क्यू.शून्य.सी. ई.एन.जी.(पी. एच 15)/5/2021-ओ/ओ डिप्टी. सी.ई./सी.इला. (कंप्यूटर सं. 51223), दिनांक: 24.11.2021]

हिमांशु गोस्वामी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी /निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS

[North Cental Railway (Construction Department)]

NOTIFICATION

Prayagraj, the 9th January, 2026

S.O. 202(E).— Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (North Central Railway, Construction department), Notification number, **S.O. 4776 (E)** dated the **22nd October, 2025** published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3 Sub-section (ii), dated the **08th October, 2025** (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railways (Amendment) Act, 2008 (11 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declares its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely special railway project of Prayagraj-Pt. Deendayal 3rd line doubling Railway project (150 km) in **District Mirzapur** in the state of Uttar Pradesh.

And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers namely **"Dainik Jagran" and "The Times of India" Dated 30th October, 2025** under sub section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, all the objections received in this project have been disposed of by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section 20E of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central government free from all encumbrances.

And, that all persons interested in the above mentioned land in pursuance of sub-section (04) of section 20 (F) of the said Act by the Central Government are hereby informed that they may, personally or through an agent or legal practitioner, be notified by the competent authority **Special Land Acquisition Officer (Irrigation) / Mirzapur,** can submit his claim in the next 20 days from the date of publication of this notification in the office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the Special Railway Project of Prayagraj-Pt. Deendayal 3rd line doubling Railway project (150 km) **02** villages in **Sadar Tehsil** of District **Mirzapur**

in the state of Uttar Pradesh under **Special Land Acquisition Officer (Irrigation) / Mirzapur, District Mirzapur** in the State of Uttar Pradesh.

S.N.	Village Name	Plot No.	Type of Land	Nature of Land	Acquired Area (in Hect.)	Land Owner / Beneficiary Name
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	**Chaderu Chaukatha**	380	Private	Agriculture	0.0130	Krishna prasad s/o Dudhnath
						Jay shankar s/o Dudhnath
						Dharmraj s/o Dudhnath
						Ramashankar s/o Dudhnath
		382	Private	Agriculture	0.1030	Amarawati devi w/o Ramjeet
						Radhey krishna s/o Ramjeet
						Radhey shyam s/o Ramjeet
						Shesh Mani s/o Ramjeet
		392	Private	Agriculture	0.1440	Lalji s/o Bandhu prasad
						Vanshroop s/o Bandhu prasad
						Ghanshyam s/o Thakur prasad
						Sangam prasad s/o Thakur prasad
						Saryu prasad s/o Thakur prasad
						Ram Akabal s/o Jamuna prasad
						Ramujagir s/o Jamuna prasad
						Ramdhani s/o Jamuna prasad
						Rambali s/o Jamuna prasad
				Total	**0.2600**	
2	**kasaghana**	159	Private	Agriculture	0.1210	Shyamkali w/o Ramashankar
		121	Private	Agriculture	0.0340	Omkarnath s/o Ramdev
						Jagadish Narayan s/o Shyam Narayan
						Rameshchandra s/o Lakshmi Narayan
						Om prakash s/o Gayatri prasad
						Mangala prasad s/o Gayatri prasad
						Shyama Nand s/o Gayatri prasad
						Sachchida Nand s/o Gayatri prasad
						Balkrishna s/o Bharat Lal
						Manju Devi w/o Bharat Lal
				Total	**0.1550**	
				G.Total	**0.4150**	

[F. No.NCR-HQ0CENG(PH 15)/5/2021- O/O Dy CE/C/ALD (Computer No.51223) Dated: 24.11.2021]

HIMANSHU GOSWAMI Chief Administrative Officer/ (Con.)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2026.01.15 16:09:23 +05'30'